



आदेश सं.: आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/विविध/106/7/2024 दिनांक: 23 जुलाई, 2024
Order No.: IRDAI/F&I/ORD/MISC/106/7/2024 Date: 23rd July, 2024

बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 05 अगस्त, 2016 [संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016] और बीमा कंपनी के बोर्ड पर उभयनिष्ठ/नामिती निदेशक(कों) की नियुक्ति संबंधी आईआरडीएआई परिपत्र दिनांक 30 अगस्त, 2018 [संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/141/08/2018] के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (इस आदेश में इसके बाद “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) की धारा 34, 34ई और 102 के अधीन मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि. (इस आदेश में इसके बाद “सीएचआईएल” के रूप में उल्लिखित) के मामले में आदेश।

Order in the matter of M/s. Care Health Insurance Ltd. (hereinafter referred to as “CHIL”) under section 34, 34E and 102 of the Insurance Act, 1938 (hereinafter referred to as “the Act”) read with Guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director/ Chief Executive Officer/ Whole-Time Directors of Insurers, 2016 dated 05th August, 2016 [Ref.: IRDA/F&A/GDL/LSTD/155/08/2016] and IRDAI Circular on Appointment of Common/ Nominee Director(s) on the Board of Insurance Company, dated 30th August, 2018 [Ref.: IRDA/F&A/CIR/MISC/141/08/2018]

निम्नलिखित के आधार पर / Based on the:

- (i) आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 के द्वारा जारी किये गये प्राधिकरण के निदेशों के संबंध में कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद “एससीएन” के रूप में उल्लिखित) संदर्भ सं. 258/एफ&आई(एनएल)/एचसीएच/सीओएम/भाग-II/02/2022/32 दिनांक 14.06.2024.
Show Cause Notice (hereinafter referred to as “SCN”) reference No. 258/F&I(NL)/HCH/Com/Part-II/02/2022/32 dated 14.06.2024 in connection with the directions of the Authority issued vide IRDAI Letter dated 10.05.2022,
- (ii) सीएचआईएल का उत्तर दिनांक 21.06.2024
Response of CHIL dated 21.06.2024
और / and
- (iii) सीएचआईएल द्वारा अध्यक्ष, आईआरडीएआई, सदस्य (बीमांकक) और सदस्य (वित्त व निवेश) के पैनल के समक्ष 15.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरण।
Submissions made by CHIL during the personal hearing held on 15.07.2024 at 12:00 noon before the panel of Chairman IRDAI, Member (Actuary) and Member (F&I).

पृष्ठभूमि / Background:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद “आईआरडीएआई” के रूप में उल्लिखित) ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 148 दिनांक 26 अप्रैल, 2012 प्रदान किया। उसके अनुसार, सीएचआईएल उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन था और साथ ही, बीमा अधिनियम, 1938 (इस आदेश में इसके बाद “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, विनियमों, दिशानिर्देशों और/या परिपत्रों सहित समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य निदेशों के उपबंधों के अधीन भी था।

The Insurance Regulatory & Development Authority of India (herein after referred to as “IRDAI”) granted Certificate of Registration No. 148 dated 26th April, 2012 to Care Health Insurance Limited (formerly known as Religare Health Insurance Company Limited) (herein after referred to as “CHIL”) to carry out health insurance business in India in terms of Section 3 of the Insurance Act, 1938. In terms thereof, CHIL was subject to the terms and conditions of the Certificate of Registration and was also required to abide by the provisions of the Insurance Act, 1938 (herein after referred to as the “Act”), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, other directions issued by the Authority from time to time including by way of Regulations, Guidelines and /or Circulars.

2. अधिनियम की धारा 48ए के अनुसार, बीमाकर्ता के बोर्ड पर बीमा एजेंट या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व करनेवाले उभयनिष्ठ / नामिती निदेशक(कों) की नई नियुक्ति और/या नियुक्ति की निरंतरता के लिए प्राधिकरण की अनुमति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/141/08/2018 दिनांक 30.08.2018 (“2018 परिपत्र”) जारी किया था, जिसमें बीमाकर्ताओं से उभयनिष्ठ निदेशकों की अनुमति के लिए अनुरोध करते समय यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी कि:

In terms of Section 48A of the Act, permission of the Authority is required for new appointment and/or continuation of appointment of Common / Nominee Director(s) representing insurance agent or intermediary or insurance intermediary on the Board of the insurer. Further, the Authority, in exercise of the powers conferred under Section 14(1) of the IRDA Act, 1999, had issued circular ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/141/08/2018 dated 30.08.2018 (“2018 Circular”), wherein insurers while requesting for permission of common directors were required (as per Paragraph B(c) of the 2018 Circular) to ensure that:

“प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना गैर-कार्यकारी निदेशक को कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं होगा। तथापि, बीमाकर्ताओं को लागू मानदंडों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति है।”

“No remuneration shall be payable to Non-executive director without prior approval of the Authority. However, Insurers are permitted to pay sitting fee, as per applicable norms.”

3. प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 48ए के अनुसार, अपने पत्र दिनांक 18.09.2019 के द्वारा डा. रश्मि सलूजा को सीएचआईएल और रेलिगेर फिनवेस्ट लिमिटेड (बीमा मध्यवर्ती – कारपोरेट एजेंट) में उभयनिष्ठ निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 28.01.2022 के द्वारा डा. रश्मि सलूजा को सीएचआईएल और रेलिगेर ब्रोकिंग लिमिटेड (बीमा मध्यवर्ती – कारपोरेट एजेंट) में उभयनिष्ठ निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया है। उक्त शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं कि:

The Authority, in terms of Section 48A of the Act, vide its letter dated 18.09.2019 has granted approval to Dr. Rashmi Saluja, for her role as common director in CHIL and Religare Finvest Limited (Insurance Intermediary- Corporate Agent) subject to conditions. Further, the Authority vide its letter dated 28.01.2022 has granted approval to Dr. Rashmi Saluja, for her role as common director in CHIL and Religare Broking Limited (Insurance Intermediary - Corporate Agent) subject to conditions. The conditions inter alia include that:

“बैठक शुल्क के भुगतान को छोड़कर गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा”

"prior approval of the Authority shall be taken for payment of remuneration to the non-executive directors other than for payment of sitting fees"

4. प्राधिकरण को सीएचआईएल से दिनांक 31.12.2021 का एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सीएचआईएल की गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) की उनकी क्षमता में डा. रश्मि सलूजा, सीएचआईएल की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को एक कर्मचारी स्टाक विकल्पों (ईएसओपी) की योजना के अंतर्गत स्टाक विकल्पों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2022 के द्वारा सीएचआईएल द्वारा किये गये अनुरोध (सीएचआईएल की एनईडी और धारक कंपनी के कर्मचारी की क्षमता में स्टाक विकल्प जारी करने के लिए अनुरोध) को अस्वीकार किया क्योंकि 2016 के पारिश्रमिक दिशानिर्देश, बैठक शुल्क के अतिरिक्त एईडीएस को “लाभ से संबंधित कमीशन” के भुगतान की अनुमति देते हैं। उक्त अनुरोध को अस्वीकार करते हुए यह निर्दिष्ट किया गया कि:

The Authority received an application dated 31.12.2021 from CHIL requesting for grant of approval for issuance of stock options under an Employee Stock Options(ESOP) Scheme to Dr. Rashmi Saluja, Non-Executive Chairperson of CHIL, in her capacity as a Non-Executive Director (NED) of CHIL. The Authority vide its letter dated 10.05. 2022 rejected the request made by CHIL (to issue stock options in the capacity of NED of CHIL and employee of the holding company) as the remuneration guidelines of 2016 permit payment of “profit related commission’ to NEDs apart from sitting fees. While rejecting the request it was indicated that:

“चूँकि गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (एनईसी) की भूमिकाएँ और दायित्व प्रमुख रूप से गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) के साथ तुलनीय हैं, अतः प्रस्तावित पारिश्रमिक भी उचित रूप से गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक के अनुरूप होगा”।

“As the roles and responsibility of Non-Executive Chairman (NEC) is majorly comparable with that of Non-Executive Director (NED), the proposed remuneration shall also be reasonably commensurate with that of the Non-Executive Directors”.

5. ई-मेल दिनांक 12.05.2022 के द्वारा सीएचआईएल ने अस्वीकृति पर निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया था जो बाद में ई-मेल दिनांक 17.05.2022 के अनुसार वापस लिया गया।

Vide email dated 12.05.2022, CHIL had requested for reconsideration of decision on rejection which was later withdrawn by them vide email dated 17.05.2022.

6. तदुपरांत, 16.11.2023 को प्रकाशित समाचार आलेख के आधार पर प्राधिकरण की जानकारी में यह आया कि आईआरडीआई द्वारा अस्वीकृति के बावजूद और इसके लिए पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध को उनके द्वारा वापस लिये जाने के बाद भी सीएचआईएल ने डा. रश्मि सलूजा को 2,27,11,237 ईएसओपीएस प्रदान किये थे। आईआरडीआई ने ई-मेल दिनांक 20.11.2023 के द्वारा, ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध रिपोर्टों के संबंध में टिप्पणियाँ / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सीएचआईएल से कहा। सीएचआईएल ने पत्र दिनांक 29.11.2023 के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया। सीएचआईएल द्वारा दिये गये उत्तर की जाँच की गई तथा यह देखा गया कि आईआरडीआई द्वारा ईएसओपीएस के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए किये गये अनुरोध की अस्वीकृति के बाद भी सीएचआईएल ने 2,27,11,237 ईएसओपीएस प्रदान किये थे जिनमें से 75,69,685 ईएसओपीएस का प्रयोग डा. रश्मि सलूजा, सीएचआईएल की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सह निदेशक द्वारा किया गया है। यह प्रथम दृष्टि में स्पष्ट था कि सीएचआईएल ने आईआरडीआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं किया था।

Subsequently, basis news article published on 16.11.2023, it came to the notice of the Authority that CHIL had granted 2,27,11,327 ESOPs to Dr. Rashmi Saluja despite rejection by IRDAI and after withdrawal of their reconsideration request for the same. IRDAI vide email dated 20.11.2023 asked CHIL to submit comments / clarifications on the publicly available reports mentioned above. CHIL, vide letter dated 29.11. 2023 submitted its response. The reply given by CHIL was examined and it was noted that CHIL had granted 2,27,11,327 ESOPs of which 75,69,685 ESOPs have been exercised by Dr. Rashmi Saluja, non-executive chairperson cum director of CHIL on 04.10.2023 even after rejection of the request for grant of approval for issuance of ESOPs by IRDAI. It is prima facie evident that CHIL had not complied with the directions of the Authority as issued vide IRDAI letter dated 10.05. 2022.

7. इसके उपरांत, आईआरडीएआई ने अपने पत्र दिनांक 24.05.2024 के द्वारा आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा ऐसे पत्र की तारीख से 7 दिन की अवधि के अंदर अनुपालन की पुष्टि करने के लिए सीएचआईएल को एक अवसर प्रदान किया। इसके उत्तर में सीएचआईएल ने अतिरिक्त समय की माँग की, जो 07.06.2024 तक उनको दी गई।

Subsequently, IRDAI vide its letter dated 24.05.2024 granted an opportunity to CHIL to ensure compliance with IRDAI's letter dated 10.05.2022 and confirm the compliance within a period of 7 days from the date of such letter. In response, CHIL sought the additional time, which was allowed up to 07.06.2024.

8. सीएचआईएल ने अपने पत्र दिनांक 07.06.2024 के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया है कि डा. रश्मि सलूजा को ईएसओपीएस प्रदान करना रेलिगेर एन्टरप्राइजेस लि. (आरईएल) की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता में किया गया है, न कि सीएचआईएल की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। प्राधिकरण ने उक्त स्पष्टीकरण को आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 द्वारा सूचित किये गये प्राधिकरण के निदेशों की आरोपित अवज्ञा के समान ही मानते हुए स्वीकार नहीं किया है।

CHIL vide its letter dated 07.06.2024 has submitted that the grant of ESOPs to Dr. Rashmi Saluja has been in her capacity as Executive Chairperson of Religare Enterprises Ltd (REL) and not as Non-executive chairperson of CHIL. The Authority has not accepted the said explanation considering the same to be in alleged defiance of the directions of the Authority, communicated vide IRDAI letter dated 10.05.2022.

आरोप: एससीएन का निर्गम / Charge: Issuance of SCN

9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित के उपबंधों के कथित उल्लंघनों के संबंध में अपना उत्तर देने की माँग करते हुए सीएचआईएल को एससीएन दिनांक 14.06.2024 जारी किया गया:

In view of the above, SCN dated 14.06.2024 was issued to CHIL seeking its response with respect to alleged violations of the provisions of:

- क) उभयनिष्ठ निदेशक का अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों या प्रतिबंध का अनुपालन न करने के लिए आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/141/08/2018 के साथ पठित अधिनियम की धारा 48ए।
- a) Section 48A of the Act read with IRDAI circular ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/141/08/2018 for non-compliance with the conditions or restriction as imposed while granting approval of common director,
- ख) 'लाभ से संबंधित कमीशन' और 'बैठक शुल्क' को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान के लिए आईआरडीएआई (निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016 का अनुबंध क(1)(ख)।
- b) Annexure A (1)(b) of the IRDAI (Remuneration of Non-Executive Directors of Private Sector Insurers) Guidelines, 2016 for payment to Non-executive director in form other than 'profit related commission' and 'sitting fees'.

एससीएन के लिए सीएचआईएल का उत्तर / Response of CHIL to the SCN:

10. दिनांक 21.06.2024 के अपने उत्तर में सीएचआईएल द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों का सारांश निम्नानुसार है:

A summary of the submissions made by CHIL in its response dated 21.06.2024, is as follows:

- क) सीएचआईएल की गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) के रूप में उनकी क्षमता में डा. रश्मि सलूजा को ईएसओपी योजना के अंतर्गत स्टॉक विकल्पों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध करते हुए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.12.2021 ने उलझन उत्पन्न की है तथा इसके लिए क्षमादान का अनुरोध किया गया है।
- a) The application dated 31.12.2021 from CHIL requesting for grant of approval for issuance of stock options under an ESOP Scheme to Dr. Rashmi Saluja in her capacity as a Non-Executive Director (NED) of CHIL has created confusion and condonation of the same has been requested.
- ख) सीएचआईएल ने आईआरडीएआई के दिनांक 10.05.2022 के पत्र का अनुपालन किया है क्योंकि उसने 17.01.2022 को किये गये ईएसओपीएस के प्रदाय को निरस्त कर दिया है।
- b) CHIL has complied with the IRDAI letter dated 10.05.2022 as it cancelled the grant of ESOPs made on 17.01.2022.
- ग) उसके बाद सीएचआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 19.09.2022 को डा. रश्मि सलूजा को सीएचआईएल द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ / कानूनी रायों के आधार पर ईएसओपीएस का एक नया प्रदाय दिया।
- c) The Nomination and Remuneration Committee of CHIL thereafter gave a fresh grant of ESOPs to Dr. Rashmi Saluja on 19.09.2022 basis expert / legal opinions received by CHIL.
- घ) आईआरडीएआई (निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016 (इस आदेश में इसके बाद "2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देश") और 2018 परिपत्र अपनी धारक कंपनी, आरईएल के कर्मचारियों को कंपनी के ईएसओपीएस प्रदान करने के विषय में लागू नहीं हैं। चूंकि उक्त ईएसओपीएस डा. सलूजा को कंपनी की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता में कभी प्रदान नहीं किये गये थे, अतः पूर्वोक्त दिशानिर्देश और परिपत्र लागू नहीं थे।
- d) The provisions of the IRDAI (Remuneration of Non-Executive Directors of Private Sector Insurers) Guidelines, 2016 (hereinafter '2016 Remuneration Guidelines') and the 2018 Circular were not applicable to the grant of ESOPs of the Company to employees of its holding company, REL. Since the ESOPs were never granted to Dr. Saluja in her capacity as the Non-Executive Chairperson of the Company, the aforesaid guidelines and circulars were inapplicable.

- ड) 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत, किसी बीमाकर्ता के अध्यक्ष को भुगतान किये गये किसी पारिश्रमिक (ईएसओपीएस प्रदान करने सहित) का कोई विनियम नहीं है, जो कंपनी के बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- e) Under the 2016 Remuneration Guidelines, there was no regulation of any remuneration paid to the Chairperson of an insurer (including the grant of ESOPs), which was left to the discretion of the Board of the Company.
- च) बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए ईएसओपीएस के संबंध में विनियम आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023 (इस आदेश में इसके बाद "2023 पारिश्रमिक दिशानिर्देश") के अनुसार 2023 में पहली बार लागू किये गये हैं। ये दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि गैर-कार्यकारी निदेशक कोई इक्विटी-संबद्ध लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं था।
- f) Regulations regarding ESOPs for non-executive directors of insurers were introduced for the first time in 2023 vide the IRDAI (Remuneration of Directors and Key Managerial Persons of Insurers) Guidelines, 2023 (hereinafter "2023 Remuneration Guidelines"). These guidelines stipulate that Non-Executive Directors cannot receive any equity-linked benefits. This was not a restriction under the 2016 Remuneration Guidelines.
- छ) 22 मई, 2024 को आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024 ("2024 मास्टर परिपत्र") जारी किया है। उक्त 2024 मास्टर परिपत्र के खंड 9.1(ड) में, आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों को शेयर-संबद्ध लाभों के प्रदाय को अन्य समूह कंपनियों में उनके पद के आधार पर नियंत्रित किया है। उक्त मास्टर परिपत्र डा. सलूजा के पक्ष में पहले ही किये गये प्रदाय के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
- g) On 22 May, 2024, IRDAI issued the Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024 ("2024 Master Circular"). In clause 9.1(e) of the 2024 Master Circular, IRDAI has regulated grant of share-linked benefits to Non-Executive Directors of insurers by virtue of their position in other group companies. The Master Circular cannot be retrospectively applied to the grant already made in favour of Dr. Saluja.
- ज) सीएचआईएल की ईएसओपी के प्रारंभ से लेकर, सीएचआईएल का ईएसओपी, आरईएल के अनेक कर्मचारियों को प्रदान किये गये थे।
- h) Several employees of REL were granted ESOP of CHIL, ever since the inception of the ESOP Scheme of CHIL.
11. सीएचआईएल ने दिनांक 21.06.2024 के अपने उत्तर में एक वैयक्तिक सुनवाई के दौरान अधिक विस्तार में उनके मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर के लिए अनुरोध किया था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, एक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर 15.07.2024 को आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में प्रदान किया गया जहाँ सीएचआईएल की ओर से प्रस्तुतीकरण श्री प्रताप वेणुगोपाल, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, श्री मलय कुमार सिन्हा,

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक तथा श्री अनुज गुलाटी, प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा किया गया। उत्तर दिनांक 21.06.2024 में किये गये प्रस्तुतीकरणों का सारांश उक्त सुनवाई के दौरान दोहराया गया। उक्त सुनवाई के दौरान सीएचआईएल के प्रस्तुतीकरणों के समर्थन में एक अतिरिक्त कानूनी राय भी आईआरडीएआई को प्रस्तुत की गई।

CHIL in its response dated 21.06.2024 had requested for an opportunity to present their case in greater detail during a personal hearing. In consonance with the principles of natural justice, personal hearing was granted on 15.07.2024 at IRDAI HO, Hyderabad where the submissions on behalf of CHIL were made by Mr. Pratap Venugopal, Non- Executive Independent Director; Mr. Malay Kumar Sinha, Non-Executive Independent Director and Chairperson of Nomination & Remuneration Committee; Mr. Praveen Kumar Tripathi, Non-Executive Independent Director and Mr. Anuj Gulati, Managing Director & CEO. A summary of the submissions made in response dated 21.06.2024 were reiterated during the said hearing. An additional legal opinion in support of CHIL's submissions was also submitted to the IRDAI at the time of the hearing.

टिप्पणियाँ / Observations:

12. चूँकि स्टॉक विकल्पों के निर्गम के लिए कंपनी द्वारा आवेदन दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया था, अतः 2018 परिपत्र सीएचआईएल, रेलिगेर फिनवेस्ट लिमिटेड और रेलिगेर ब्रोकिंग लिमिटेड (बीमा मध्यवर्ती) के उभयनिष्ठ निदेशक के रूप में डा. रश्मि सलूजा की नियुक्ति के अनुमोदन के समय प्रचलित कानूनी ढांचे के कारण प्रस्तुत मामले के लिए संगत है। इसी प्रकार, 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देश प्रस्तुत मामले के लिए संगत रहते हैं। 2023 पारिश्रमिक दिशानिर्देश डा. रश्मि सलूजा को स्टॉक विकल्पों के निर्गम के समय लागू नहीं थे। इसके अलावा, सीएचआईएल का तर्क भी कि 2024 मास्टर परिपत्र कथित रूप से सीएचआईएल पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा रहा है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आईआरडीएआई ने अपने पत्र दिनांक 18.09.2019 और 28.01.2022 द्वारा यह शर्त रखी थी कि *“बैठक शुल्क के भुगतान को छोड़कर गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा”*

Since the application made by the Company for issuance of stock options was filed with the IRDAI in December 2021, the 2018 Circular is relevant for the present case by virtue of being the legal framework prevailing at the time of approval of the appointment of Dr. Rashmi Saluja as common director of CHIL, Religare Finvest Limited and Religare Broking Limited (insurance intermediaries). Similarly, the 2016 Remuneration Guidelines remain relevant to the present matter. The 2023 Remuneration Guidelines was not applicable at the time of issuance of stock options to Dr. Rashmi Saluja. Further, the contention of CHIL that the 2024 Master Circular is allegedly being retrospectively applied to CHIL is also not tenable as IRDAI vide its letters dated 18.09.2019 & 28.01.2022 has put the condition that *“prior approval of the Authority shall be taken for payment of remuneration to the non-executive directors other than for payment of sitting fees”*

13. 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अनुबंध क का खंड 1(क) बीमाकर्ता के बोर्ड से अपेक्षा करता है कि एनईडीएस को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए नीतियाँ बनाये। 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अनुबंध क का खंड 1(ख) *अन्य बातों के साथ-साथ* विनिर्दिष्ट करता है कि बोर्ड “अपने विवेक पर उक्त नीति में बीमाकर्ता द्वारा लाभ अर्जित करने के अधीन गैर-कार्यकारी निदेशकों को लाभ संबंधी कमीशन के रूप में पारिश्रमिक के भुगतान के लिए व्यवस्था करे।” 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अनुबंध क का खंड 2 बताता है कि “ऊपर पैरा 1.ख में उल्लिखित निदेशकों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त, बीमाकर्ता गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान करे...” (बल दिया गया है)। “के अतिरिक्त” शब्दों का प्रयोग स्पष्ट करता है कि 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी एनईडी को भुगतान किये जानेवाले केवल दो प्रकार के पारिश्रमिक की अपेक्षा की गई है। यह स्पष्ट है कि 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं के एनईडीएस को स्टॉक विकल्पों के निर्गम की अपेक्षा नहीं की गई है। यह स्थिति आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 में प्राधिकरण द्वारा सीएचआईएल को पुनः बताई गई थी। उक्त पत्र में स्पष्ट किया गया कि किसी एनईडी (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सहित) के लिए, बैठक शुल्क के अलावा, 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत केवल लाभ से संबंधित कमीशन का भुगतान ही परिकल्पित है।

Clause 1(a) of the Annexure A of the 2016 Remuneration Guidelines require the board of an insurer to formulate policies for payment of remuneration to NEDs. Clause 1(b) of the Annexure A of the 2016 Remuneration Guidelines *inter alia* specifies that the Board “*may, at its discretion, provide for, in the Policy, payment of remuneration in the form of profit related commission to the non-executive directors, subject to the insurer making profits*”. Clause 2 of the Annexure A of the 2016 Remuneration Guidelines states that “*in addition to the directors’ remuneration mentioned in para 1.b above, the insurer may pay sitting fees to the non-executive directors...*” (emphasis supplied). The usage of the words “in addition” makes it clear that only two forms of remuneration are contemplated to be paid to an NED under the 2016 Remuneration Guidelines. It is clear that the issuance of stock options to NEDs of insurers under the 2016 Remuneration Guidelines is not contemplated. This position was reiterated to CHIL by the Authority in the IRDAI letter dated 10.05.2022. The said letter clarified that for an NED (including a non-executive chairperson), other than sitting fees, only payment of profit related commission is envisaged under the 2016 Remuneration Guidelines.

14. पैराग्राफ ख(ग) के अंतर्गत उक्त 2018 परिपत्र उन व्यक्तियों, जो बीमाकर्ता और बीमा मध्यवर्ती के उभयनिष्ठ निदेशक हैं, को देय पारिश्रमिक के लिए विशिष्ट अनुमोदन की अपेक्षा को लागू करता है। यह उपबंध इस प्रकार के उभयनिष्ठ निदेशकत्व धारित करनेवाले बीमाकर्ताओं के सभी एनईडीएस के लिए लागू है। इसके अलावा, पत्र दिनांक 18.09.2019 और पत्र दिनांक 28.01.2022 के अंतर्गत आईआरडीएआई का निदेश, कंपनी से अपेक्षा करता है कि 2018 परिपत्र के पैराग्राफ ख(ग) के अनुसरण में एनईडीएस को ‘पारिश्रमिक’ के भुगतान के लिए आईआरडीएआई का अनुमोदन प्राप्त करे। ‘स्टॉक विकल्प’, ‘पारिश्रमिक’ के दायरे में आते हैं और इस कारण से 2018 परिपत्र के विस्तार में आएँगे।

The 2018 Circular under paragraph B(c) imposes specific approval requirement for remuneration payable to persons who are common directors of an insurer and an insurance intermediary. The provision is applicable to all NEDs of insurers holding such common directorships. Further, the direction of the IRDAI under the letter dated 18.09.2019 and letter dated 28.01.2022, requires the Company to obtain approval of the IRDAI for payment of “remuneration” to NEDs, pursuant to Paragraph B(c) of the 2018 Circular. “Stock options” fall within the ambit of “remuneration” and hence would come under the purview of the 2018 Circular.

15. 2018 परिपत्र के अनुसार, उनके बोर्ड पर विद्यमान एनईडीएस को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की विनियामक अपेक्षा बीमाकर्ता पर है तथा उक्त परिपत्र के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन आरईएल की अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में डा. रश्मि सलूजा की स्थिति से अलग है। सीएचआईएल आईआरडीआई के विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन है तथा 2018 परिपत्र सीएचआईएल पर यह सुनिश्चित करने का एक सुस्पष्ट और उपेक्षा न करने योग्य कर्तव्य सीएचआईएल पर लागू करता है कि कोई भी निदेशक जो उनके बोर्ड में है और साथ ही, एक बीमा मध्यवर्ती है, को आईआरडीआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई पारिश्रमिक (बैठक शुल्क को छोड़कर कोई अन्य) न दिया जाए। उक्त 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देश बीमाकर्ता पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य भी लागू करते हैं कि गैर-कार्यकारी निदेशकों (इस बात का विचार किये बिना कि अध्यक्ष या अन्य कोई हैं) को लाभ से संबंधित कमीशन और बैठक शुल्क को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक न दिया जाए।

As per the 2018 Circular, the regulatory requirement of obtaining prior approval of the Authority for payment of remuneration to NEDs on their board is upon the insurer and the approval required under the Circular is independent of Dr. Rashmi Saluja's position as the chairperson and executive director of REL. CHIL is subject to the regulatory supervision of the IRDAI and the 2018 Circular imposes a clear and non-derogable duty on CHIL to ensure that a director, who is on their board and also an insurance intermediary, is not provided any remuneration without having obtained the prior approval of the IRDAI (other than sitting fees). The 2016 Remuneration Guidelines also impose a duty on the insurer to ensure that non-executive directors (irrespective of being a chairperson or otherwise) are not provided any remuneration, other than profit related commission and sitting fees.

16. उक्त 2018 परिपत्र और 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देश विशिष्ट विनियामक अपेक्षाएँ हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अतिरिक्त हैं, जो सीएचआईएल पर लागू हो सकती हैं। तदनुसार, ईएसओपीएस के अनुसरण में कंपनी के स्टॉक विकल्पों के निर्गम के लिए कंपनी से अपेक्षित है कि वह न केवल कंपनी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करे, बल्कि आईआरडीआई के द्वारा निदेशों (जैसे आईआरडीआई के पत्रों के अंतर्गत हैं) एवं अधिनियम, 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों और 2018 परिपत्र में विनिर्दिष्ट निदेशों के माध्यम से लागू किये गये अतिरिक्त दायित्वों और अनुपालन की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करे। ऊपर निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त, 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों और 2018 परिपत्र का अनुपालन भी अपेक्षित था।

The 2018 Circular and the 2016 Remuneration Guidelines are specific regulatory requirements and are required to be complied with, in addition to the provisions of the Companies Act, 2013 as may be applicable to CHIL. Accordingly, for issuance of stock options of the Company pursuant to ESOPs, the Company is required to comply not only with the provisions of the Companies Act, but also the additional obligations and compliance requirements imposed by the IRDAI through directions (such as under the IRDAI Letters) as well as those specified in the Act, the 2016 Remuneration Guidelines and the 2018 Circular. In light of the principles laid out above, compliance of the 2016 Remuneration Guidelines and the 2018 Circular were also required in addition to the Companies Act.

17. सीएचआईएल के प्रकथन के संबंध में कि सीएचआईएल की ईएसओपी योजना के प्रारंभ से लेकर, आरईएल के अनेक कर्मचारियों को सीएचआईएल के ईएसओपी प्रदान किये गये थे, प्राधिकरण कोई गुण नहीं पाता, इस स्थिति के होते हुए कि सीएचआईएल इस संबंध में प्रमाणित नहीं कर सका अथवा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका कि आरईएल के उक्त कोई कर्मचारी सीएचआईएल के एनईडीएस थे, जो ऐसे ईएसओपीएस प्रदान करते समय किसी बीमा मध्यवर्ती के बोर्ड में भी थे।

In relation to the averment of CHIL that several employees of REL were granted ESOP of CHIL, ever since the inception of the ESOP Scheme of CHIL, the Authority finds no merit, given that CHIL has failed to establish or provide any details in relation to whether any of the said employees of REL were NEDs of CHIL, while also being on the board of an insurance intermediary, at the time of the grant of such ESOPs.

उपसंहार / Conclusion

18. आईआरडीएआई के पत्र दिनांक 10.05.2022 द्वारा सीएचआईएल को निदेश दिया गया कि 2016 पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के अनुसार डा. रश्मि सलूजा को सीएचआईएल के स्टॉक विकल्पों का निर्गम न करे। आईआरडीएआई के 10.05.2022 के उक्त पत्र को “अक्षरशः” लागू करने की अपेक्षा की गई थी। बीमाकर्ताओं के एनईडीएस को पारिश्रमिक देने के लिए (बैठक शुल्क से संबंधित को छोड़कर अन्य), जो बीमा मध्यवर्तियों में उभयनिष्ठ निदेशक हैं, आईआरडीएआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से बचा नहीं जा सकता, इस कारण से कि ऐसा उभयनिष्ठ निदेशक किसी अन्य कंपनी के निदेशक/कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में बीमाकर्ता के स्टॉक विकल्प प्राप्त कर रहा है।

The IRDAI letter dated 10.05.2022 directed CHIL to refrain from issuance of stock options of CHIL to Dr. Rashmi Saluja as per the 2016 Remuneration Guidelines. The IRDAI letter of 10.05.2022 was required to be given effect in “letter and spirit”. The requirement to procure prior approval of the IRDAI for providing remuneration to NEDs of insurers who are common directors in insurance intermediaries (other than in relation to sitting fees), cannot be avoided on the grounds of such common director receiving stock options of the insurer, in his/ her capacity as a director/ employee of any other company.

19. डा. रश्मि सलूजा, जो सीएचआईएल की एक एनईडी और अध्यक्ष हैं, तथा एक बीमा मध्यवर्ती के पास एक उभयनिष्ठ निदेशक भी हैं, को पारिश्रमिक (बैठक शुल्क को छोड़कर अन्य) का भुगतान करने के लिए, किसी भी स्थिति में, आईआरडीएआई का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। यह दोहराया जाता है कि यह तथ्य कि डा. रश्मि सलूजा ने आरईएल की कार्यकारी अध्यक्ष का पद धारित किया है, आईआरडीएआई के निदेशों तथा आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा को कम नहीं करता।

The payment of remuneration (other than sitting fees) to Dr. Rashmi Saluja, who is an NED and Chairperson of CHIL, and also a common director with an insurance intermediary, in any event, required the prior approval of the IRDAI. It is reiterated that the fact that Dr. Rashmi Saluja held the position of the executive chairperson of the REL does not dilute the requirement of complying with the directions of the IRDAI and the provisions of the regulations, guidelines, circulars issued by the IRDAI.

20. उपर्युक्त के आलोक में, डा. रश्मि सलूजा को आरईएल की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता में कंपनी के स्टॉक विकल्पों का निर्गम, अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन जारी किये गये परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निदेशों का उल्लंघन करता है।

In light of the above, the issuance of stock options of the Company to Dr. Rashmi Saluja in her capacity as the executive chairperson of REL is in violation of the Act, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and circulars, guidelines and the directions issued thereunder.

निर्णय / Decision:

21. प्राधिकरण की उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, इस कारण से पाया गया है कि सीएचआईएल ने निम्नलिखित सहित लागू विधि का उल्लंघन किया है:

In light of the above observations of the Authority, CHIL is therefore found in violation of applicable law including:

- क) उभयनिष्ठ निदेशक के रूप में अनुमति प्रदान करते समय आईआरडीएआई द्वारा लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का अनुपालन न करने के लिए आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/एफ&ए/सीआईआर/विधि/141/08/2018 के साथ पठित अधिनियम की धारा 48ए।
 - a) Section 48A of the Act read with IRDAI circular Ref. no. IRDA/F&A/CIR/MISC/141/08/2018, for non-compliance with the conditions or restrictions as imposed by IRDAI while granting permission to be common director.
- ख) 'लाभ संबंधी कमीशन' और 'बैठक शुल्क' को छोड़कर अन्य प्रकार से गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के लिए आईआरडीएआई (निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016 का अनुबंध क (1)(ख)।
 - b) Annexure A (1)(b) of the IRDAI (Remuneration of Non-Executive Directors of Private Sector Insurers) Guidelines, 2016, for payment to Non-executive director in form other than 'profit related commission' and 'sitting fees'.

22. तदनुसार, अधिनियम की धाराओं 34 और 34ई के अंतर्गत आईआरडीएआई के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएचआईएल से निम्नलिखित का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है:

Accordingly, in exercise of powers vested with IRDAI under sections 34 and 34E of the Act, CHIL is required to comply with the following:

- क) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों सहित, लागू विधियों का अनुपालन करते हुए प्रयोग कीमत (अर्थात् भारतीय रुपये 45.32 प्रति शेयर) के रूप में प्रति शेयर उसी कीमत पर डा. रश्मि सलूजा को आबंटित सीएचआईएल के 75,69,685 शेयरों की वापसी-खरीद करवाना।

- a) To cause a buyback of 75,69,685 shares of CHIL allotted to Dr. Rashmi Saluja at the same price per share as the exercise price (i.e., INR 45.32 per share), in compliance with applicable laws including the provisions of Companies Act, 2013.

उक्त अनुपालन और इसका पुष्टीकरण इस आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर पूरे किये जाने की आवश्यकता है।

The compliance and confirmation of the same needs to be completed within 30 days from the date of the order.

- ख) डा. रश्मि सलूजा को किन्हीं स्टॉक विकल्पों की उस सीमा तक, जो इस आदेश की तारीख की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त और/या अनिहित रूप में रह जाती है, सीएचआईएल को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि ऐसे स्टॉक विकल्पों को निरस्त और/या प्रतिसंहरित करे। किसी भी स्थिति में सीएचआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि डा. रश्मि सलूजा को आगे और कोई प्रदाय और/या आबंटन नहीं किया जाएगा।

- b) To the extent of any stock options to Dr. Rashmi Saluja which remains unexercised and/or unvested as on the date of this order, CHIL is hereby directed to cancel and revoke such stock options. In any event CHIL shall ensure that no further grant and/or allotment shall be made to Dr. Rashmi Saluja.

इसका अनुपालन और पुष्टीकरण इस आदेश की तारीख से 15 दिन के अंदर पूरा करने की आवश्यकता है।

The compliance and confirmation of the same needs to be completed within 15 days from the date of the order.

- ग) सीएचआईएल के उचित प्रबंध को सुरक्षित रखने के लिए, इस आदेश की तारीख से सीएचआईएल के एमडी और सीईओ सहित बोर्ड के किसी भी सदस्य से संबंधित किसी भी पारिश्रमिक / भुगतान / परिलब्धि या किसी अन्य लाभ, मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभ के संबंध में सीएचआईएल के बोर्ड द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय का कार्यान्वयन अगले आदेशों तक केवल आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

- c) In order to secure the proper management of CHIL, from the date of this order, any decision made by the Board of CHIL in relation to any remuneration / payment / perquisite or other benefit, monetary or otherwise in relation to any member of the Board including MD & CEO of CHIL, shall be implemented by CHIL only after prior approval of IRDAI, till further orders.
23. धारा 102 के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसार, सीएचआईएल पर रु. 1 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपये) का अर्थदंड लगाया जाता है।
In accordance with the powers vested under Section 102, a penalty of Rs.1 crore (Rupees One Crore only) is imposed on CHIL.
- सीएचआईएल को उक्त अर्थदंड की राशि इस आदेश के 45 दिन के अंदर जमा करने का निदेश दिया जाता है। सीएचआईएल को उक्त अर्थदंड की राशि अपनी शेयरधारकों की निधि से प्रभारित करने का भी निदेश दिया जाता है। विप्रेषण की सूचना श्री महेश अग्रवाल, महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट - नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 (ई-मेल आईडी: maheshagarwal@irdai.gov.in) के पते पर भेजी जाए।
CHIL is directed to deposit the penalty amount within 45 days of this Order. CHIL is also directed to charge the said penalty amount to its shareholders account. An intimation of remittance may be sent to Shri Mahesh Agarwal, General Manager (F&I) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey no. 115/1, Financial District – Nanakramguda, Hyderabad – 500032 (email id : maheshagarwal@irdai.gov.in).
24. इस आदेश की एक प्रति सीएचआईएल के बोर्ड के समक्ष तत्काल प्रस्तुत की जाएगी। सीएचआईएल कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को इसके 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।
A copy of this order shall be placed before the Board of CHIL immediately. CHIL shall submit a copy of the minutes of discussion to the Authority, within 7 days of the same.
25. यदि सीएचआईएल इस आदेश में निहित किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
If CHIL feels aggrieved by any of the decisions in this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.

(राजय कुमार सिन्हा)
(Rajay Kumar Sinha)
सदस्य (वित्त व निवेश)
Member (F&I)

(पी.के. अरोड़ा)
(P.K. Arora)
सदस्य (बीमांकक)
Member (Actuary)

(देबाशीष पण्डा)
(Debasish Panda)
अध्यक्ष
Chairman

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date: 23 जुलाई, 2024 / 23rd July, 2024